

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षण प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विभाग के अंकेक्षण अधिकारी, निरीक्षण एवं सब ऑडिटर से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर पंजीयन क्रमांक 03 दिनांक 19.07.1918 है तथा जो जिला शाजापुर एवं आगर मालवा में है, का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समितियां अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समितियों मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है। बैंक को पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक कार्यालय में उपलब्ध है।

मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर का 31 मार्च 2022 तक की स्थिति पर विवरण पत्रक लाभ-हानि पत्रक जो उस दिनांक से समाप्त होने वाले लेखाओं कसे संबंधित है कि प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गये प्रमाणित लेखाओं के आधार पर जांच की गयी जो कि इन पत्रकों से सम्मिलित किये गये है। अतः मेरे मत के अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आक्षेपों, लेखांकन नीतियों एवं परिवर्तन का ज्ञापन (MOC) को छोड़कर साथ पढ़ते हुए :- बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत् उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत पंजीयक सहकारी समितियां भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

1. बैंक की स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट है। आवश्यक सभी जानकारी जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को दर्शाते है उनका समावेश इनमे है। मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के संबंध मे बताई गई तथा जो खातों में दर्शायी गयी है उनका समावेश इन पत्रों में है। आपत्तियाँ आडिट नोट में बताई गई है।



2. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है । जो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी है वो ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित है।
3. बैंक का समस्त व्यवहार, व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है । इस वक्त बैंक मुख्यालय व शाखाओं ने प्रमाण पत्र भी जारी किया है और यह प्रमाणित किया है की बैंक द्वारा किए गए समस्त व्यवहार विधि समान है और आर बी आई / नाबार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों अनुसार की गए है। विचलन के प्रकरणों में MOC जारी की गयी है।
4. अंकेक्षण हेतु जो भी प्रपत्र बुलाये गये सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है ।
5. लाभ-हानि पत्रक शेष लाभ का सही चित्रण करता है । लेकिन बैंक ने ऋण माफी के कालातीत ऋणों में प्रावधान नाबार्ड के नियमनुसार नहीं किया है।
6. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक लाभ-हानि पत्रक नियमों के अनुरूप नहीं बनाया गया है जिससे बैंक का मुनाफा रु. 12.30 करोड़ से ज्यादा दर्शाया जा रहा है।
7. नाबार्ड के परिपत्र क्रमांक/NB/DOS/HO.POL/431/11/2013-14 दिनांक 06.05.2013 द्वारा अंकेक्षण वर्गीकरण के निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक से अधिकतम 100 अंको में 80.25 अंक प्राप्त होते है । अतएव बैंक को "अ" वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ ।
वर्ष 2021-2022 के लिये "अ" वर्ग की पुष्टि की जाती है

"अ" वर्ग की अनुमति दी जाती है।

For K.K. & Company
Chartered Accountants

(Manoj P. Gupta)
Partner



उप पंजीयक
सहकारी सोसायटीयों
जिला शाजापुर (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी सस्थाएं
उज्जैन, संभाग उज्जैन

संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र
क्रमांक/अंके./निर्गमन/303 दिनांक 30.08.22
लेखित आक्षेपों एवं निर्देशों के पालन हेतु जारी

संयुक्त आयुक्त सहकारिता
उज्जैन संभाग, उज्जैन